इंद्रजीत दास बनाम

त्रिपुरा राज्य

(2015 की आपराधिक अपील 28 फरवरी, 2023

/

[बी**.** आर**.** गवई और विक्रम नाथ**,** जे**.** जे**.]**

दंड संहिता, 1860:धारा 302/34, 201 – हत्या-परिस्थितिजन्य साक्ष्य-अभियोजन पक्ष के गवाहों में से एक से प्राप्त जानकारी कि उसका भतीजा पिछली शाम से लापता था-पीड़ित अपनी बाइक पर गया था लेकिन वापस नहीं आया था-आगे की जांच पर, उसकी माँ ने बताया कि पीड़ित दो दोस्तों के साथ बाहर गया था-दोनों दोस्तों ने जांच अधिकारी के सामने अपना अपराध कबूल कर लिया था-उनमें से एक किशोर था, जिस पर किशोर अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया था-दूसरे के संबंध में निचली विचारण न्यायालय ने माना कि अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे अपना अपराध पूरी तरह से स्थापित कर लिया था, और उसे दोषी ठहराया-उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया आदेश-अपील पर कहा गयाःतत्काल मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य का होता है क्योंकि किसी ने भी अपराध को नहीं देखा-परिस्थितियों की श्रृंखला में बुनियादी संबंध उद्देश्य से शुरू होते हैं, फिर अंतिम बार देखे गए सिद्धांत, वसूली, चिकित्सा साक्ष्य, विशेषज्ञ राय यदि कोई हो और कोई अन्य अतिरिक्त लिंक जो परिस्थितियों की श्रृंखला का हिस्सा हो सकता है-अभियोजन पक्ष किसी भी उद्देश्य के साथ आगे नहीं आया कि अपीलकर्ता और किशोर उक्त अपराध क्यों करेंगे-मृत शरीर बरामद नहीं किया गया था-केवल एक अंग बरामद किया गया था, लेकिन यह स्थापित करने के लिए कोई डीएनए परीक्षण नहीं किया गया था कि अंग पीड़ित का था-इस तरह अभियोजन पक्ष का पूरा मामला इस धारणा पर आगे बढ़ता है कि पीड़ित की मृत्यु हो गई-पीड़ित की मां आखिरी बार देखे गए अपराध की मुख्य गवाह थी-अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने कहा कि

/

/

/

/

/

/

142

143

इंद्रजीत दास बनाम त्रिपुरा राज्य ए

अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति का समर्थन करने के लिए पाया गया पुष्टि करने वाला साक्ष्य, बल्कि अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य उसी के साथ असंगत है-इस प्रकार, परिस्थितियों की श्रृंखला के प्रमुख लिंक अभियोजन पक्ष के साक्ष्य द्वारा साबित नहीं होते हैं और इस तरह अपीलार्थी की दोषसिद्धि को बनाए रखना अन्यायपूर्ण होगा-अपीलार्थी संदेह के लाभ का हकदार है और सभी आरोपों-साक्ष्य से बरी हो जाता है।प्रमाणः

/

परिवेशीय साक्ष्य-सामान्य सिद्धांतों-पर चर्चा की गई।परिस्थितिजन्य साक्ष्य-उद्देश्य-प्रत्यक्ष और परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में महत्व और भूमिका-उल्लिखित।

/

शरद बर्धीचंद सारदा बनाम एम. महाराष्ट्र राज्य

1984 (4) एससीसी 116:[1985] 1 एस. सी. आर. 88; शैलेंद्र राजदेव

पासवन और अन्य बनाम गुजरात राज्य आदि। एयर

2020 एससी 180:[2019] 14 एस. सी. आर. 270; कुना उपनाम संजय बेहरा बनाम ओडिशा राज्य (2018) 1 एस. सी. सी. 296:[2017]

/

11 एस**.** सी**.** आर**. 179;** रंगनायकी बनाम राज्य

पुलिस (2004) 12 एससीसी 521:[2004] 5 पूरक।एस. सी. आर. 452-संदर्भित।

संदर्भित निर्णय

[1985] 1 एससीआर **88**

संदर्भित

पैरा **10**

/

[2019] 14 एससीआर **270**

संदर्भित

पैरा **10**

[2017] 11 एस**.** सी**.** आर**. 17**

संदर्भित

पैरा **15**

[2004] 5 पूरक।पैरा **15** में निर्दिष्ट एस**.** सी**.** आर**. 452**

आपराधिक अपीलीय आधिकारिता :2015 की आपराधिक अपील No.609।

/

2011 के सी. आर. एल. ए. No.22 में अगरतला में त्रिपुरा उच्च न्यायालय के दिनांकित 09.10.2013 के निर्णय और आदेश से।

सुश्री मधुमिता भट्टाचार्जी, सुश्री उर्मिला कर पुरकायस्थ, सुश्री श्रीजा चौधरी, सुश्री पियाली पॉल, सुश्री आरुषि मिश्रा, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

/

शुभोदीप रॉय, कबीर शंकर बोस, दीपायन दत्ता, साई शशांक, एड.प्रत्यर्थियों के लिए।

/

144

/

[2023] 3 एस सी आर।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

विक्रम नाथ**,** जे।

1. अपीलार्थी ने भारतीय दंड भारतीय दंड संहिता की धारा 1 और 201 के अंतर्गत निचली अदालत द्वारा दर्ज की गई दोषसिद्धि की पुष्टि करते हुए अपीलार्थी की अपील को खारिज करते हुए 9 अक्टूबर, 2013 के त्रिपुरा उच्च विचारण न्यायालय के निर्णय और आदेश की शुद्धता

पर हमला किया है, जिसमें उसे आजीवन कारावास और साथ-साथ चलने के लिए संबद्ध सजा दी गई थी।

/

2. अभियोजन पक्ष की कहानी मंटू दास (पीडब्लू-40) के एक टेलीफोन संदेश के साथ शुरू होती है जिसमें पुलिस स्टेशन कैलाशहर को सूचित किया जाता है कि शांतिपुर के पास कैलाशहर-कुमारघाट रोड पर भारी मात्रा में खून देखा गया था।उक्त टेलीफोन संदेश बिंदु भूषण दास (पीडब्लू-1) को प्राप्त हुआ, जिसके बाद वह उप-निरीक्षक काजल रुद्रपाल के साथ G.D.Register में उचित प्रविष्टि करने के बाद उक्त स्थान के लिए आगे बढ़े।

/

/

3. मौके पर, पीडब्लू-1 ने न केवल सड़क के किनारे खून देखा, बल्कि खून से सना वोजाली (बड़ा चाकू), एक धागा (धागा) और कांच के कुछ टूटे हुए टुकड़े भी पाए, जिन्हें मोटर साइकिल के पीछे से देखने वाले दर्पण का कहा जा सकता है।इन सभी वस्तुओं को हिरासत में ले लिया गया, सील कर दिया गया और वसूली ज्ञापन तैयार किया गया।आगे की जांच की गई जिससे सड़क के किनारे जंगल में कुछ भारी सामान को खींचने के निशान दिखाई दिए।ये निशान मनु नदी तक जारी रहे और उसके बाद गायब हो गए।

/

4. जबकि जाँच अभी भी चल रही थी, पुलिस स्टेशन को अर्जुन दास (पीडब्लू-7) से जानकारी मिली कि उनका भतीजा कौशिक सरकार पिछली शाम से लापता है, यानी 19.06.2007। उक्त जानकारी इस आशय की थी कि कौशिक सरकार पिछली शाम अपनी बाइक पर बाहर गए थे लेकिन वापस नहीं आए थे।जाँच अधिकारी गाँव मोहनपुर में कौशिक सरकार के निवास पर आया जहाँ उसने अपनी माँ (पीडब्लू-25) का बयान दर्ज किया।उसने बताया कि कौशिक सरकार दो दोस्तों इंद्रजीत दास (अपीलार्थी) और एक 'किशोर के' के साथ बाहर गई थी।इन दोनों व्यक्तियों को पुलिस स्टेशन बुलाया गया लेकिन उन्होंने रिपोर्ट नहीं की।इसके बाद जाँच अधिकारी अपीलार्थी के घर गया।

/

/

5. जाँच अधिकारी के अनुसार, दोनों अभियुक्तों ने उसके सामने कबूल किया कि वे फातिक्रॉय और कंचनबाड़ी गए थे

1 संक्षेप में 'आई. पी. सी.' ए

/

मृतक कौशिक सरकार की बाइक पर क्षेत्र।रास्ते में उन्होंने शराब की एक बोतल खरीदी और बाबुल दास के साथ उसका सेवन किया। इसके बाद उन्होंने कैलाशहर की ओर गाड़ी चलानी शुरू कर दी।शांतिपुर में वे प्रकृति की पुकार का जवाब देने के लिए उतर गए।कौशिक मोटर साइकिल पर बैठा हुआ था।उस समय दोनों अभियुक्तों ने कौशिक सरकार पर वोजालियों से हमला किया।उन्होंने हेलमेट, पर्स और दो वोजालियों को पास के जंगल में फेंक दिया और शव और मोटर साइकिल को पास की नदी में घसीट कर नदी में फेंक दिया।फिर वे तैरकर नदी पार कर गए, अपीलार्थी के घर गए और उनके खून से सने कपड़े जला दिए।6. अभियुक्त 'किशोर के' पर किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया था।वर्तमान अपीलार्थी पर नियमित सत्र न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया गया था।आरोप विरचित किए जाने और पढ़े जाने पर, उन्होंने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मुकदमा चलाने का दावा किया।7. अभियोजन पक्ष ने 40 गवाहों से पूछताछ की और दस्तावेजी साक्ष्य का भी नेतृत्व किया जो विधिवत साबित और प्रदर्शित किया गया।विचारण न्यायालय ने दिनांक 1 के निर्णय के माध्यम से एक निष्कर्ष दर्ज किया कि अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी के अपराध को पूरी तरह से उचित संदेह से परे स्थापित किया था, और तदनुसार उसे अपराधों के लिए दोषी ठहराया और उसे सजा सुनाई जैसा कि पहले दर्ज किया गया था।

/

/

/

8. अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी जिसे तब से आक्षेपित निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया है क्योंकि उच्च न्यायालय का यह भी विचार था कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे आरोपों को साबित करने में सफल रहा था।

/

9. हमने पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना है और अभिलेख पर सामग्री साक्ष्य का अध्ययन किया है।

10. वर्तमान मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य का है क्योंकि किसी ने अपराध होते नहीं देखा है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में विधि अच्छी तरह से स्थापित है।प्रमुख मामला शरद का है।

/

बर्डहिचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य **2.**इसके अनुसार**,**

परिस्थितियाँ अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करने वाली एक निश्चित प्रवृत्ति की होनी चाहिए; संचयी रूप से ली गई परिस्थितियों को एक ऐसी श्रृंखला बनानी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि इस निष्कर्ष से कोई बच न सके कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर अपराध अभियुक्त द्वारा किया गया था और उन्हें अभियुक्त के अपराध के अलावा किसी भी परिकल्पना पर स्पष्टीकरण देने में असमर्थ होना चाहिए और उसकी निर्दोषता के साथ असंगत होना चाहिए।उक्त सिद्धांत शरद बर्डहिचंद सारदा के मामले में निर्धारित किया गया है।

/

2 1984 (4) एससीसी 116

/

146

/

[2023] 3 एस सी आर।

(उपर्युक्त) का इस न्यायालय द्वारा लगातार पालन किया गया है।हाल के एक मामले में -

शैलेंद्र राजदेव पासवन और अन्य बनाम गुजरात राज्य आदि। **3,**

इस न्यायालय ने कहा कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, विधि दो गुना आवश्यकताओं को स्वीकार करता है।पहला, कि अभियुक्त के अपराध को स्थापित करने के लिए आवश्यक परिस्थितियों की श्रृंखला में प्रत्येक कड़ी को अभियोजन पक्ष द्वारा उचित संदेह से परे स्थापित किया जाना चाहिए और दूसरा, सभी परिस्थितियों को केवल अभियुक्त के अपराध की ओर इंगित करने के लिए सुसंगत होना चाहिए।हमें अन्य निर्णय ों का उल्लेख करके इस निर्णय पर बोझ डालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उपरोक्त सिद्धांतों का लगातार पालन किया गया है और इस न्यायालय द्वारा बार-बार अनुमोदित किया गया है।

/

11. तय किए गए कानूनी प्रस्तावों की उपरोक्त पृष्ठभूमि में, हम वर्तमान मामले के तथ्यों, परिस्थितियों और साक्ष्य से निपटने के लिए आगे बढ़ते हैं और यह पता लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं कि क्या परिस्थितियों की श्रृंखला का प्रत्येक संबंध अभियोजन पक्ष द्वारा पूरी तरह से स्थापित किया गया है या नहीं।

/

12. परिस्थितियों की श्रृंखला में बुनियादी लिंक उद्देश्य से शुरू होते हैं, फिर अंतिम बार देखे गए सिद्धांत, पुनर्प्राप्ति, चिकित्सा साक्ष्य, विशेषज्ञ राय यदि कोई हो और कोई अन्य अतिरिक्त लिंक जो परिस्थितियों की श्रृंखला का हिस्सा हो सकता है, की ओर बढ़ते हैं।

/

13. सबसे पहले, हम यह दर्ज कर सकते हैं कि अभियोजन पक्ष किसी भी उद्देश्य के साथ आगे नहीं आया है कि अपीलार्थी सह-अभियुक्त किशोर 'के' के साथ उक्त अपराध क्यों करेगा।यहां तक कि निचली अदालत और उच्च न्यायालय भी किसी भी सबूत के अभाव में अपराध करने के उद्देश्य पर कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं कर पाए हैं।14. उच्च न्यायालय ने एकल पैराग्राफ नं. में उद्देश्य के पहलू पर विचार किया।20, जिसका अवलोकन यह नहीं दर्शाता है कि कोई उद्देश्य देखा गया था, लेकिन यह कि 'किशोर के' अपराध के पीछे का मास्टरमाइंड था और उसने हमले का हथियार खरीदा था।यह, कहीं से भी एक उद्देश्य नहीं होगा।

/

/

15. परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, उद्देश्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।प्रत्यक्ष साक्ष्य के मामले में भी अभिप्रेरण की भूमिका हो सकती है, लेकिन प्रत्यक्ष साक्ष्य के मामले की तुलना में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में इसका बहुत अधिक महत्व है।यह परिस्थितियों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी है।परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में उद्देश्य के महत्व पर निम्नलिखित दो निर्णयों का संदर्भ दिया जा सकता हैः

/

3 आकाशवाणी 2020 एससी 180 ए

/

147

इंद्रजीत दास बनाम त्रिपुरा राज्य [विक्रम नाथ, जे.] ए.

(1) कुनाअलियास संजय बेहरा बनाम ओडिशा राज्य **4** और **(2)** रंगनायकी बनाम राज्य पुलिस निरीक्षक द्वारा **5.**

16. इसके बाद, वर्तमान मामले में, शव बरामद नहीं किया गया है।केवल एक अंग बरामद किया गया था लेकिन यह स्थापित करने के लिए कोई डीएनए परीक्षण नहीं किया गया था कि अंग मृतक कौशिक सरकार का था।इस प्रकार अभियोजन पक्ष का पूरा मामला इस धारणा पर आगे बढ़ता है कि कौशिक सरकार की मृत्यु हो गई है।कार्पस डिलिक्टि के सिद्धांत में दोनों पक्षों के निर्णय हैं जिसमें कहा गया है कि दोषसिद्धि को कार्पस की वसूली के अभाव में दर्ज किया जा सकता है और दूसरा विचार है कि कार्पस की वसूली के अभाव में कोई दोषसिद्धि दर्ज नहीं की जा सकती है।बाद का विचार इस कारण से है कि यदि बाद में कोष जीवित दिखाई देता है, तो किसी को दोषी ठहराया जा सकता है और सजा सुनाई जा सकती है और उसके द्वारा किए गए किसी भी अपराध के लिए कारावास का सामना करना पड़ सकता है।हम इस मुद्दे पर विधि में

नहीं जा रहे हैं।हालाँकि, हमने अभी इस तथ्य को दर्ज किया है और परिस्थितियों की श्रृंखला के अन्य लिंक पर विचार करते समय इसकी कुछ प्रासंगिकता या असर हो सकता है।17. अब हम अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत पर चर्चा करते हैं।अर्जुन दास (पीडब्लू-7) द्वारा सुबह पुलिस स्टेशन को दी गई पहली जानकारी में, इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि कौशिक अपीलार्थी और 'किशोर के' के साथ अपने घर से निकला था।अर्जुन दास (पीडब्लू-7) ने केवल इतना कहा है कि उनका भतीजा कौशिक शाम को मोटर बाइक पर निकला था और वापस नहीं आया था। हालाँकि विचारण न्यायालय के समक्ष अपने बयान में उन्होंने कहा कि कौशिक अपीलार्थी और किशोर 'के' के साथ गए थे, लेकिन जब उनका सामना सीआरपीसी की धारा 161 के अंतर्गत उनके बयान और पुलिस अभिलेख में प्रविष्टि के बारे में किया गया, तो उनके पास इसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं था।

/

/

/

/

18. पीडब्लू-25 लास्ट सीन का मुख्य गवाह है।वह कौशिक की माँ हैं।उसने कहा है कि जब वह 19.06.2007 पर शाम करीब 5 बजे कार्यालय से लौटी, तो उसने कौशिक को अपने पिता की मोटर बाइक पर बाहर जाते देखा।जब उसने उससे पूछताछ की, तो उसने कहा कि वह अपीलार्थी और किशोर 'के' के साथ फातिक्रॉय जा रहा था।उसने आगे कहा कि उसने गेट तक अपने बेटे का पीछा किया और अपीलार्थी और 'किशोर के' को गेट पर खड़ा देखा।इस गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में जब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत उसके बयान का सामना किया तो कहा कि ऐसा कोई बयान नहीं है, हालांकि उसके अनुसार, उसने जांच अधिकारी को बताया था कि उसने अपीलार्थी और 'किशोर के' को अपने द्वार पर देखा था।

/

/

19. अभियोजन पक्ष के गवाहों के अलावा, दोषसिद्धि अपीलार्थी और 'किशोर' के अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति पर आधारित है।

4 (2018) 1 एससीसी 296 5 (2004) 12 एससीसी 521

/

के '।दोनों इकबालिया बयानों के अनुसार, अपीलकर्ता और 'किशोर के' भी फातिक्रॉय बाजार के पास एक पुलिया पर इंतजार कर रहे थे, जहां कौशिक सरकार लगभग साढ़े पांच बजे अपनी बाइक पर आए थे।वहाँ से वे तीनों बाइक पर सवार होकर चले गए।हालाँकि, सर्किट हाउस के पास उसने बाइक रोकी और यह देखना चाहता था कि उसकी माँ कार्यालय से घर आई है या नहीं।वे दोनों सर्किट हाउस के पास इंतजार कर रहे थे और कौशिक सरकार घर पर चेक करने के बाद फिर से सर्किट हाउस में वापस आ गए जहाँ से वे कुमारघाट के लिए रवाना हुए।यदि अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति को स्वीकार किया जाना है, तो माँ (पीडब्लू-25) द्वारा दिए गए अंतिम देखे गए सिद्धांत के बयान को कोई विश्वसनीयता देना मुश्किल हो जाता है।हालाँकि, भले ही हम अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति की अनदेखी करते हैं, पी. डब्ल्यू.-25 का बयान केवल अंतिम सिद्धांत को विकसित करने के लिए एक सुधार प्रतीत होता है।चूंकि पुलिस थाने में दर्ज अर्जुन दास (पीडब्लू-7) के टेलीफोन कॉल में न तो अपीलार्थी और किशोर 'के' के साथ शाम को कौशिक के जाने का उल्लेख है और न ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत पीडब्लू-7 और पीडब्लू-25 के बयानों में अपीलार्थी के नाम का उल्लेख है और किशोर 'के' को कौशिक के साथ उसके आवास से जाते देखा गया है।लास्ट सीन थ्योरी के समर्थन में दो अन्य गवाहों से भी पूछताछ की गई, लेकिन वे भी किसी भी विश्वास को प्रेरित नहीं करते हैं।

/

/

/

20. जहां तक वसूली का संबंध है, जो परिस्थितियों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी है, वसूली एक खुली जगह से हुई है।जिस स्थान पर खून के धब्बे देखे गए थे और 'वोजाली' बरामद की गई थी, वहां से नदी के किनारे तक कुछ भारी वस्तु को खींचना और फिर नदी के तल से उस स्थान से मोटर बाइक को बरामद करना जहां खींचने के निशान समाप्त हो गए थे, कुछ सामान्य और अपेक्षित है।यह ऐसा स्थान नहीं था जो अपीलार्थी के अनन्य ज्ञान में हो।

/

21. अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति सबूत का एक कमजोर टुकड़ा है और विशेष रूप से जब इसे मुकदमे के दौरान वापस ले लिया गया हो।इसकी पुष्टि करने के लिए मजबूत सबूत की आवश्यकता होती है और यह भी स्थापित किया जाना चाहिए कि यह पूरी तरह से स्वैच्छिक और सच्चा था।ऊपर की गई चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमें अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति का समर्थन करने के लिए कोई पुष्टि करने वाला सबूत नहीं मिलता है, बल्कि अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य उसी के साथ असंगत है।

/

/

22. ऊपर की गई चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम पाते हैं कि परिस्थितियों की श्रृंखला के प्रमुख संबंध अभियोजन पक्ष के साक्ष्य द्वारा साबित नहीं हुए हैं और इस तरह अपीलार्थी की दोषसिद्धि को बनाए रखना अन्यायपूर्ण होगा।अपीलार्थी संदेह के लाभ का हकदार होगा। तदनुसार, अपील की अनुज्ञात जाती है और अपीलार्थी को बरी कर दिया जाता है।

/

149

इंद्रजीत दास बनाम त्रिपुरा राज्य [विक्रम नाथ, जे.]

सभी आरोपों से।याचिकाकर्ता न्यायिक हिरासत में है।हालाँकि, उन्हें राज्य द्वारा पैरोल दे दी गई थी।उसे तुरंत रिहा कर दिया जाएगा।

23. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

निधि जैन

अपील अनुज्ञात ।

/

(सहायकः तमन्ना, एलसीआरए)

/

/

/

/

/

/